

13/6/16

पत्रावली न्याय अफेयु द्वारा कोई कम्प करल ग पर फेर दुई
 छा० पत्र 039R2 CPE का ही भूल वाद मे वादी वकील का
 वकालत नामा लगाई। अतः इस छा० पत्र पर वकालत नामे की
 आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती। वकील वादी द्वारा नोट पेस
 किये जाने से छा० पत्र स्वतः चलने योग्य नहीं रह पाता। जर्जींगल
 को जलसे काम में आनागे लगाई गई। कोई हानिर नहीं आया
 रु२- रु३० पेंरवी रु३० हानिरी से छा० पत्र खारिज किया पाता
 ही मितल कैसल शुमार लेकर नम्बर से कण हो। वाद फपतर
 कारिवाल ही।

(Handwritten signature)

सुपरवाइड अधिकारी
 मसूदा (अजमेर)

